

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में किया गया है ।

यह योजना को बिहार में जुलाई, 2006 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती माताओं एवं आशा कार्यकर्ता को निम्नलिखितानुसार प्रोत्साहन राशि देय है:-

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए			शहरी क्षेत्रों के लिए	
	लाभार्थी (गर्भवती)	(आशा / आंगनवाड़ी महिला)	लाभार्थी (गर्भवती सेविका)	(आशा / आंगनवाड़ी सेविका)
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन	—	100 /—	—	100 /—
प्रसव पूर्व जाँच 1,2, एवं 3	300 /—	100 /—	300 /—	50 /—
आई.एफ.ए. 1,2 एवं 3	300 /—	100 /—	300 /—	50 /—
टी.टी.1 एवं 2	100 /—		100 /—	
बी.सी.जी. टीकाकरण	—	100 /—	—	—
संस्थागत प्रसव कराने पर मिलने वाली राशि	700 /—	—	300 /—	—
वाहन की व्यवस्था एएनएम / आशा / आंगनवाड़ी अथवा गर्भवती महिला	200 /—	—	—	—

संस्थागत प्रसव पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 /—प्रत्येक गर्भवती महिला को व आशा को 400 /—रूपये एवं वाहन की व्यवस्था कराने पर 200 /— रूपये अतिरिक्त राशि तथा शहरी क्षेत्र के महिला लाभार्थी को 1000 /—रूपये व आशा / आंगनवाड़ी सेविका को 200 /— रूपये की राशि देय है।